जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 04-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 04.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

04 राशि गोवंशीय पशु व 3 अदद अवैध चाकू के साथ 04 पशु तस्कर गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 04 गोवंशीय पशु के साथ 04 अभियुक्त नाम पता 1-मो0 कैश पुत्र मो0 शेख 2- कुद्दूस पुत्र इल्ताफ 3- सलाहुद्दीन पुत्र बिफई 4- दिलशेद पुत्र खैरुलाह निवासीगण रौजा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को 03 अदद अवैध चाकू, 1 अदद ठेहा, 01 अदद तराजू व 4 अदद बाट के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं 279 / 19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा अभियुक्त मो0 कैश, कुद्दूस व दिलशेद के पास से बरामद चाकू के सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0 280/19, 281/19 व 282/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शर्मा सिंह यादव,उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह,हे0का0 फकरुद्दीन, हे0का0 वीरेन्द्र चौधरी,हे0का0 राकेश पाण्डेय ।

बखिरा पुलिस द्वारा छेड़खानी करने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 319 / 19 धारा 354 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(1)(w)(i) sc/st act के अभियुक्त इफराक पुत्र कुतुबुल्लाह निवासी कुसुरुकला थाना बखिरा को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 31.07.2019 को वादी की लड़की के छेड़छाड की गयी थी जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनाँक 02.08.2019 को अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसके उपरान्त थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज दिनाँक 04.08.2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चोर गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त अकरम पुत्र साबित अली निवासी अलीनगर थाना महुली को गिरफतार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 278 / 19 धारा 41/411/413 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

बरामदगी- 01 अदद होण्डा साइन मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0- **UP52Y6297**।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री नसीबुद्दीन प्रभारी चौकी मुखलिसपुर मय हमराह।

सन्तकबीनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त परवेज आलम पुत्र अब्दुल मारुफ निवासी बंजरिया पूर्वी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को पुराने शुगर मिल के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 550 / 19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त मुन्ना उर्फ मोहम्मद्दीन पुत्र रफीक निवासी माइली थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 337/ 19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधनियम के अन्तर्गत 140 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त नाम पता – 1 – प्रधान पुत्र रामप्यारे निवासी कौवाड़ाड 2- राजेन्द्र पुत्र अन्तु प्रसाद निवासी मीरगंज 3- शम्भू गौड़ पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी पठान टोला 4- श्रीचन्द वर्मा पुत्र रामकिशुन निवासी मोतीनगर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10-10(कुल 40 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 545/19, 546/19, 547/19 व 551 /19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 04 अभियुक्त नाम पता – 1 – हरिश्चन्द्र पुत्र भागीरथी 2- वीरेन्द्र कुमार पुत्र त्रिभुवन 3- जवाहिर पुत्र रन्नू 4-भोला पुत्र प्रकाश निवासीगण घोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 20-20-20-20(कुल 80 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 338/19, 339/19, 340/19 व 341 /19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त नाम पता – 1 – लाला साहनी पुत्र स्व0 फौजदार 2- भवनाथ राव पुत्र स्व0 रामसमुझ निवासीगण बौरव्यास थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10 (कुल 20 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर क्रमशः मु0अ0सं0 49/19 व 50 /19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वारण्टी

थाना धनघटा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता रामनाथ कसौधन पुत्र बद्री निवासी आगापुर गुलरिहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता रामतेज पुत्र केदार निवासी तेनुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द

पीआरवी 1496 ने विवाद को कराया शान्त– पीआरवी 1496 को थाना मेंहदावल क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 09640 से कालर ने विवाद होने के सम्बन्ध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 09 मिनट में घटनास्थल पर पहुचकर विवाद को शान्त कराया गया तथा प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेंहदावल भेजा गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना को घटित होने से रोका गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी अखिलेश सिंह, आरक्षी राजकुमार यादव, हो0चा0 पंकज मिश्र।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 06 वाहनों का चालान व 56 वाहनो से 65900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 04-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 06 वाहन चालान व 56 वाहनो से 65900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **मेहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 04-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 24 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 66 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 03 लड़को से पूछताछ करने के पश्चात उसके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।